रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 142] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 9, 1972/वैशाख 19, 1894
No. 142] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 9, 1972/VASIAKHA 19, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

21 JUL 1972

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Food)
NOTIFICATION
New Delhi, the 9th May 1972

G.S.R. 278(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food), No. S.O. 4458, dated the 14th December, 1967, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[No. F.3-1/67-FCC.]
A. K. MAJUMDAR, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय
(खाद्य विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 9 मई, 1972

सा० का० नि० 278 (अ).—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 16 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार

एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 4458 तारीख 14 दिसम्बर, 1967 का विखण्डन, ऐसे विखण्डन से पूर्व की गई या किये जाने से लोप की गई बातों के बारे में के सिवाय, करती है ।

[सं० फा०, 3-1/67-एफ० सी० सी०]

ए० के० मजुमदार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972